दिनांक : .०३.२०२०

प्रति,

माननीय केंद्रीय गृहमंत्री,
भारत सरकार, नई देहली

विषय : देहली में दंगे भडकाकर तथा उनमें हिन्दू और पुलिसकर्मियों को लक्ष्य बनाकर उन्हें जान से मारनेवाले और सार्वजनिक संपत्ति को बडी हानि पहुंचानेवाले धर्मांधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के संदर्भ में ...

महोदय,

देश की राजधानी देहली में फरवरी २०२० के अंतिम सप्ताह में हुए दंगे में ४२ से भी अधिक लोगों को अपने प्राण गंवाने पडे, तो २५० से अधिक लोग घायल हुए हैं । दंगाईयों ने नागरिकों के घर, दुकान और सार्वजनिक संपत्ति की इतनी तोडफोड और आगजनी की, जिस हानि की कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती । इस हिंसा में पुलिस हवलदार रतनलाल और गुप्तचर विभाग के पुलिसकर्मी अंकित शर्मा को चुनकर मार डाला गया । इसका अर्थ दंगाईयों में पुलिस बल का भय नहीं रहा । पुलिसकर्मियों को जान से मारने तक दंगाईयों की हिम्मत हो गई है, इससे शंका की जा सकती है कि यह दंगा योजनाबद्ध और लक्ष्य सुनिश्चित कर किया गया है, । देहली के चांदबाग, सीलमपुर, भजनपुरा, मौजपुर, यमुना विहार आदि क्षेत्रों में ये दंगे भडकाए गए । वर्ष १९८४ में इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात भडके सिक्खविरोधी दंगे के उपरांत पहली बार देहली में इतनी बडी हिंसा हुई है । जो स्थिति अबतक केवल कश्मीर में देखने को मिलती थी, वह अब देश की राजधानी में देखने को मिल रही है । अतः इस प्रकरण में हम निम्नांकित सूत्रों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

१. धर्मांध दंगाईयों ने देहली का दंगा कराने के लिए कारण, समय, स्थान और पद्धति आदि सूत्रों को अचूकता से साधा । जहां यह दंगा हुआ, वहां से संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय केवल १५ मिनट की दूरी पर स्थित हैं । यह दंगा जिस पर समस्त विश्व का ध्यान था, उसे अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा की अवधि में और वह भी ट्रम्प के आगरा से देहली पहुंचते ही करवाया गया ।

२. इस हिंसा में धर्मांधों द्वारा मारे गए गुप्तचर विभाग के पुलिसकर्मी अंकित शर्मा का प्राथमिक शवविच्छेदन ब्यौरा सामने आया है । उसमें धर्मांधों ने अंकित शर्मा के शरीर पर ४०० बार चाकू भोंककर उन्हें अत्यंत निर्मम और अमानुषिक पद्धति से मारा है, यह स्पष्ट हो चुका है ।

३. इस दंगे के प्रकरण में देहली पुलिस विभाग ने आम आदमी दल के पार्षद ताहिर हुसैन और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को गिरफ्तार किया है । इससे प्रमाणित होता है कि इस दंगे के लिए धर्मांध ही कारणभूत हैं ।

४. इस दंगे में चांदबाग परिसर के आम आदमी दल के पार्षद ताहिर हुसैन के कार्यालय की छत पर असंख्य पेट्रोल बम, पत्थर और ईंटों से भरी हुई असंख्य बोरियां, माचिस, दंगे के लिए उपयोग की जानेवली विध्वंसक सामग्री इत्यादि मिली है । इस हिंसा में धर्मांधों द्वारा ६०० गोलियां चलाई गई हैं ।

५. अंकित शर्मा की हत्या करने से पहले भीड उन्हें पकडकर खींचते हुए ताहिर हुसैन के घर ले आई और वहीं उनकी हत्या की गई, यह आरोप लग रहा है । इससे दंगा और हत्या की घटनाओं में ताहिर हुसैन का स्पष्ट सहभाग दिखाई देता है ।

६. देहली में हुई हिंसा के जो कुछ भी छायाचित्र सामने आए हैं, उनमें धर्मांध ही हिंसक गतिविधियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं । इसमें शाहरूख नामक गुंडे ने एक पुलिसकर्मी के सामने ही हवा में ८ गोलियां चलाई हैं । देहली पुलिस विभाग ने यह जानकारी दी है कि इस हिंसा के पीछे नासीर और छेनू गिरोह का हाथ होने की आशंका है । पुलिसकर्मियों पर गोलाबारी करनेवाला शाहरूख छेनू गिरोह का सदस्य है तथा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है ।

७. 'सीएए' के विरुद्ध देहली के शाहीन बाग में धर्मांधों ने पिछले ढाए महीने से सडक बंद कर दी थी । इतने तीव्र विरोध

के पश्चात भी सरकार ने धर्मांधों की कुछ नहीं सुनी । तो क्या धर्मांधों में इसके प्रति क्षोभ था ? और क्या उसके कारण ही यह दंगा कराया गया, इसका भी अन्वेषण होना अत्यावश्यक है ।

८. दंगाईयों द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री को देखते हुए उसे १-२ दिनों में लाए जाने की संभावना नहीं है अर्थात पिछले अनेक दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी । इसके लिए दंगाईयों की सहायता करनेवालों को ढूंढ निकालना भी आवश्यक है ।

*** अतः हम इस संदर्भ में निम्नांकित मांगें कर रहे हैं ....**

१. इस प्रकरण का 'राष्ट्रीय अन्वेषण विभाग' (एनआईए) द्वारा व्यापक अन्वेषण किया जाए ।

२. धर्मांधों की तकनीक ध्वस्त करने हेतु एक क्रियान्वयन योजना बनाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, साथ ही ऐसी घटनाओं में सहभागी मौलवी अथवा धर्मगुरु, साथ ही राजनेताओं की भी व्यापक जांच कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए ।

३. समाजहित ध्यान में रखते हुए ऐसी घटनाएं रोकने हेतु 'विशेष विधि' पारित कर धर्मांध मानसिकतावाले गुंडों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए । इन्हीं दंगाईयों से नागरिक और सार्वजनिक संपत्ति की हुई हानि की वसूली भी की जाए ।

४. जो धर्मांध जनप्रतिनिधि इस दंगे में सहभागी हों, उनके विरुद्ध 'राष्ट्रीय सुरक्षा विधि' के अंतर्गत कार्रवाई की जाए ।

आपका विश्वासी,